प्रोजेक्ट का निबंधन कराकर विश्वास बढ़ाएं बिल्डर

रेरा निबंधन को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था जल्द

सिटी रिपोर्टर | पटना

रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने भूस्वामियों, बिल्डरों और डेवलपरों (प्रोमोटर) को अपने प्रोजेक्ट का रेरा निबंधन कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रेरा से निबंधन कराने वाले प्रमोटरों को रेरा अधिनियम का पालन करना है। पारदर्शी ढंग से काम करना होगा, ताकि लोगों के बीच आपकी विश्वसनीयता बढ़ सके और फ्लैट-प्लॉट का उचित मूल्य मिल सके। वे गुरुवार को कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेरा में निबंधन के सरलीकरण के लिए जल्द एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। इसका उपयोग कर प्रमोटर खुद ही जांच कर सकेंगे कि निबंधन के लिए सभी कागजों को जमा किया है या नहीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रोजेक्ट निबंधन में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने से खरीदारों को समय से रहने की सुविधा मिलती है। इससे प्रमोटर का साख भी बढ़ता है। प्रोमोटरों को कोशिश करनी चाहिए कि अवधि विस्तार की नौबत नहीं आए। अधिकारियों ने कहा कि पिछले दिनों प्राधिकरण के संज्ञान में कई मामले आए हैं, जहां प्रोमोटर द्वारा बगैर रेरा निबंधन के ही प्लॉट की बिक्री की जा रही थी। ऐसे लोगों के खिलाफ रेरा अधिनियम के अनुरूप कार्रवाई की गई है। रेरा अध्यक्ष ने कहा अगर किसी कारण से प्रोजेक्ट की निबंधन अवधि में विस्तार चाहिए तो प्रोजेक्ट का नक्शा सक्षम प्राधिकार को देना होगा। बगैर वैध नक्शे के किसी भी प्रोजेक्ट में अवधि विस्तार नहीं दिया जा सकता है। इस मौके पर रेरा बिहार के ओएसडी राजेश धदानी सहित अन्य वरीय अधिकारी, प्रोमोटर उपस्थित थे।